#Shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 23.07.22

सर्विलांस सेल व थाना सदर बाजार पुलिस टीम ने 72 घण्टे के अन्दर किया रंगदारी मांगने की घटना का खुलासा,

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रत्याशी से माँगी थी 10-10 लाख की रंगदारी, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.7.2022 को वादी श्रीमती अर्चना वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा थाना सदर बाजार पर सूचना दी गयी कि दिनांक 20.7.2022 को मोबाइल नं० -9971683986 से लगातार प्रार्थिनी को धमकी मिल रही है कि दिनांक 22.7.2022 को समय 12.00 बजे तक 10 पेटी चाहिये अगर आपने 12.00 बजे तक 10 पेटी (लाख) की व्यवस्था करके हमारे खाता में नहीं डाले तो मैं आपके परिवारी जनों को जान से मार दूंगा । यदि 12.00 तक व्यवस्था हो जाये तो मुझे फोन कर बतायें मैं अपना खाता नम्बर भेज दूँगा । उपरोक्त के अलावा प्रार्थिनी तथा परिवारी जनों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गयी है । जिस सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 706/22 धारा 384,504,507 भादवि पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 21.07.2022 को ही वादी श्री राजेश कुमार सिंह (पूर्व विधायक प्रत्याशी) द्वारा थाना जलालाबाद पर सूचना दी गयी कि मुझे मो0नं0 9971683986 से फोन पर धमकी मिली कि कल 12.00 बजे तक 10 पेटी की व्यवस्था करके हमारे खाता मे डलवा देना । जिस सम्बन्ध मे थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 518/22 धारा 504,506,507 आईपीसी पंजीकृत किया गया ।

प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन मे सर्विलांस सेल व थाना सदर बाजार की संयुक्त पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये जिसका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा स्वंय किया जा रहा था ।

प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस सेल श्री नीरज सिंह द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर को सर्विलांस पर लगाया गया तथा पाया कि रंगदारी मागने के लिए सिम कार्ड 9971683986 मोबाइल (घटना मे प्रयुक्त) मे कुछ समय के लिए चला था तथा बाद मे उसी मोबाइल मे अन्य सिम चलता मिला जिस पर दिनेश कुमार वर्मा पुत्र अभय राज नि0 ग्राम अभयान थाना कांट शाहजहाँपुर नामक आईडी रजिस्टर्ड पायी गयी ।

सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने पाया कि यह नं0 दिल्ली से NH24 पर आ रहा है । जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्वयाही करते हुए दिनांक 23.07.22 को अभियुक्त दिनेश को हापुड जनपद के गढमुक्तेश्वर के पास रेलवे स्टेशन से समय करीब 13.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से एक मोबाइल 03 सिम तथा एक टिकट गढमुक्तेश्वर से जनपद शाहजहाँपुर के बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1-दिनेश कुमार वर्मा पुत्र अभय राज नि0मो0 धैरीया थाना जलालाबाद शाह0 हाल निवासी शान्ति मोहल्ला गली नं-08 गाधींनगर शाहदरा पुरानी दिल्ली 1100037

बरामदगी का विवरण-

1-घटना मे प्रयुक्त मोबाइल व 02 अन्य अदद सिम

2-घटना मे प्रयुक्त 01 अदद सिम

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ मे अभियुक्त ने बताया कि मै गांधीनगर दिल्ली में रहकर सब्जी बेचने का काम करता हूँ जिससे मेरा खर्चा पूरा नही पड़ता है इसी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारा उधार हो गया था। मैं एक दम से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, इसलिये मैने एक प्लान बनाया और मेरे पास शाहबाद हरदोई के रहने चाले अजय कुमार जो कि मेरे पास अक्सर मेरे पास सब्जी लेने आते थे, उनका मोबाइल फोन मैने कॉल करने के बहाने से ले लिया और उसमे से चुपके से जिम निकाल कर अपने पास रख लिया और उनको बोल दिया कि तुम्हारे मोबाइल से फोन नहीं लग रहा है और ऐसा कहकर मैंने मोबाइल वापस कर दिया। उसी दिन मैने अपने मोबाइल से सिम कार्ड डाल लिया। चूँकि मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूं और पूर्व मन्त्री श्री राममूर्ति वर्मा जी के परिवार को अच्छे से जानता हूँ तथा उनके परिवार के सभी मोबाइल नम्बर पहले से ही मेरे पास है। मुझे लगा कि अगर मैं इनको फोन करके धमकी दूंगा तो ये लोग बिना किसी को बताये मुझे पैसे दे देगें। इसी प्लान से मैने अजय वाले जिम से राजेश शर्मा व उनकी पत्नी अर्चना वर्मा को फोन पर पूरे परिवार जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रूपये मांगने की रंगदारी माँगी। मैंने जानबूझकर जेल में बन्द टाप बदमाश नीरज बवाना के नाम पर पैसा माँगा जिससे कि यह लोग दहशत मे आ जाये तथा पैसे दे दें।

इसी प्लान के तहत मै आज दिल्ली से सवारी से गढ़ आया और वहाँ से ट्रेन से शाहजहाँपुर पैसे लेने जाने वाला था,जहां पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को पकड़ लिया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अनावरित अभियोगो का विवरणः-

1-मु0अ0सं0 706/22 धारा 384,504,507 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।

2-मु0अ0सं0 518/22 धारा 386, 504,507 भादवि थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर।

पुलिस टीम का विवरणः-

1.श्री नीरज सिंह, प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल

1. उ0नि श्री हरकेश सिंह चौकी प्रभारी कैन्ट थाना सदर बाजार

2.का0 1976 रोहित कुमार थाना सदर बाजार

3.का0 शिवम साइबर सेल

4.का0 अजय सर्विलांस सेल

5.का0 विशाल सर्विलांस सेल